भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 2787**
12 दिसंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

## तमिलनाडु में अतिरिक्त मेगा फूड पार्क

**2787. डॉ. टी. सुमति उर्फ तमिझाची थंगापंडियन:**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

**(क)** क्या सरकार की तमिलनाडु में अतिरिक्त मेगा फूड पार्क स्थापित करने की कोई योजना है;
**(ख)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
**(ग)** क्या सरकार तमिलनाडु में शीतगृहों में निवेश करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
**(घ)** क्या सरकार राज्य में गन्ने के बड़े उत्पादन के कारण अतिरिक्त बायोमास सुविधाएं विकसित करने का विचार रखती है; और
**(ङ)** यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री रवनीत सिंह)**

**(क) और (ख) :** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने 41 मेगा फूड पार्क परियोजनाओं को मंजूरी दी है और इनमें से 24 मेगा फूड पार्क चालू हैं। सरकार ने दिनांक 01.04.2021 से प्रतिबद्ध देयताओं के प्रावधान के साथ इस योजना को बंद कर दिया है और इसलिए, तमिलनाडु सहित भारत में अतिरिक्त मेगा फूड पार्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**(ग), (घ) और (ङ):** खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्ष 2017-18 से पूरे देश में केंद्रीय क्षेत्र की अंब्रेला योजना नामत: "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना" (पीएमकेएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है । इस योजना का उद्देश्य देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र का समग्र विकास सुनिश्चित करना है। देश में शीत श्रृंखला अवसंरचना की स्थापना सहित खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (एफपीआई) की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से पीएमकेएसवाई में कई चालू घटक योजनाएँ हैं जैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर (एपीसी) के लिए अवसंरचना का निर्माण, एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसी), खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता का निर्माण/विस्तार (सीईएफपीपीसी) और ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)। एमओएफपीआई स्वयं शीत भंडारण अवसंरचना सहित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित नहीं करता है। योजनाएँ माँग आधारित हैं और क्षेत्र विशेष नहीं हैं, जहाँ योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र संस्थाओं से अभिरुचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के अंतर्गत स्टैंडअलोन शीत भंडारण और बायोमास सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच) को कार्यान्वित कर रहा है, जिसके तहत तमिलनाडु सहित पूरे देश में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के आधार पर विकारी बागवानी उत्पादों के भंडारण के लिए शीत भंडारण के निर्माण/विस्तार/आधुनिकीकरण सहित विभिन्न बागवानी गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एएपी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा उनकी आवश्यकता, क्षमता और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर तैयार की जाती है। इस योजना के तहत घटक मांग/उद्यमी द्वारा संचालित है, जिसके लिए सामान्य क्षेत्रों में परियोजना लागत के 35% और पहाड़ी और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत के 50% की दर से संबंधित राज्य बागवानी मिशनों के माध्यम से क्रेडिट लिंक्ड बैक एंडेड सब्सिडी के रूप में सरकारी सहायता उपलब्ध है।

*****